598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 598वीं बैठक दिनांक 07/10/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 8756/2021 Shri Amit Kumar Jain, Village- Semrakhedi, Tehsil- Deori, District- Sagar, (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (22,828 cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Semrakhedi, Tehsil - Deori, Dist. Sagar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Semrakhedi, Tehsil - Deori, Dist. Sagar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 525वीं दिनांक 10/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल कुमार जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान शासकीय भूमि पर है तथा पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 750 मीटर पर आबादी एवं पश्चिम भाग से 80 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रोड़ उनके व आसपास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य खदानों का पहुंच मार्ग है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा

पेयजल की समस्या / टैंकर द्वारा पानी प्रदाय एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के परीक्षण के पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक सागर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके तालिका क्रमांक–42 पर इस खदान का विवरण दर्ज है, जो सेक की 592वीं बैठक 06/09/22 में परीक्षण कर सिया को प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 22,828 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.02 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम पितावली में हैंड पंप की सुविधा ग्राम पंचायत के सहयोग से की जावेगी एवं उसके चारो तरफ पानी की निकासी के लिए कॉन्क्रीटिंग की जावेगी ।	90,000
योग	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, सिस्सू , पीपल, बरगद, करंज, आम, खमेर, जंगल जलेबी आदि।	900
2.	परिवहन मार्ग तक (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	310
3.	ग्राम सिलारी में स्थित स्टेडियम में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम , पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कटहल, करंज, आम, अमरुद आदि।	400
4.	ग्राम सलारी में स्थित ग्राम पंचायत परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज,, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	160

5.	ग्राम सलारी में स्थित मुक्तिधाम परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, नीम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, करंज, चिरोल आदि।	100
6.	ग्राम सलारी में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	50
7.	ग्राम बेल्धाना में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, चिरोल, पुत्रंजीवा, पीपल, करंज, मोलश्री आदि।	100
8.	ग्राम सेमरखेड़ी में स्थित गवर्नमेंट गेस्ट हाउस परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, निम्बू, कटहल आदि।	200
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, निम्बू, कटहल आदि।	2580
		कुल	**4800**

2. <u>Case No 8912/2022 M/s V.K.Enterprises, Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas (MP), MP Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 30000 Cum per annum, M-sand - 20000 Cum per annum) (Khasra No. 438, 465, 466, 467, 470), Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas (MP) Env. Consul. Shri Ram Raghav from M/s. GREEN CIRCLE, INC.,Vadodara,</u>

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 438, 465, 466, 467, 470), Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 546वीं दिनांक 08/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविंद जैसवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान निजी भूमि पर है जिसमें 05 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बैरियर जोन में होने के कारण 04 पेड़ नहीं काटे नही जायेगे तथा 01 आम का पेड़ जो खनन् क्षेत्र में हैं, उसे भी काटा नहीं जायेगा । इस संबंध में समिति ने सुझाव भी दिया कि इस आम के पेड़ के चारों ओर क्राउन कव्हर के अनुरूप नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए श्रमिकों के बैठने के लिए एक आश्रय स्थल विकसित किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया

कि खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में 550 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 300 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर दिशा में 130 मीटर पर प्राकृतिक नाला स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले के संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में 20,000 घनमीटर / वर्ष का एम–सेंड प्लांट भी प्रस्तावित है जो व्ही.एस.के. तकनीक पर आधारित है । एम–सेंड प्लांट से निकलने वाला दूषित जल का पुर्नउपयोग किया जायेगा तथा स्लज का अपवहन माइन पिट में ओव्हर वर्डन के साथ किया जायेगा।

समिति ने पाया कि प्रस्तावित खदान की गहराई 40 मीटर बताई गई है तथा फार्म–2 अनुसार पोस्ट मानूसन ग्राउण्ड वाटर लेवल भी 40 मीटर पर ही है, अतः इस प्रकरण में ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन संभव होगा । तत्संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि वे अधिकतम् गहराई 35 मीटर तक ही करेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव के सुझाव प्राप्त हुए थे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी, खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षरापेण का प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल किया गया है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा देवास जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके बिंदु क्रमांक–13 के सरल क्रमांक–2 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.04 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.53 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन् की अधिकतम् गहराई 35 मीटर तक सीमित रखी जाये ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम पितावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड, 3 स्ट्रेचर और 4 व्हील चेयर का वितरण कराए जाएंगे।	60,000 /-
ग्राम पितावली के माध्यमिक शाला की मर्रम्मत एवं पुताई करवाई जावेगी	30,000 /-
गांव पितावली के माध्यमिक शाला में सोलर लाइट की स्थापना करवाई जावेगी	20,000 /-
ग्राम पितावली में हैंड पंप की सुविधा ग्राम पंचायत के सहयोग से की जावेगी एवं उसके चारो तरफ पानी की निकासी के लिए कॉन्क्रीटिंग की जावेगी ।	90,000 /-
योग	**2,00,000/-**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, बरगद, करंज, खमेर आदि।	900
2.	परिवहन मार्ग (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	430
3.	ग्राम बरखेड़ी में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	200
4.	ग्राम राजोदा में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बरगद, पीपल , कदम , नीम , करंज, सुबबूल आदि।	150
5.	ग्राम बरोठा में स्थित सरकारी स्कूल परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बरगद, पीपल, कदम , नीम, करंज, सुबबूल आदि।	100
6.	ग्राम सिरोलिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बरगद , पीपल , कदम , नीम , करंज, सुबबूल आदि।	130
7.	ग्राम भौरासा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बरगद, पीपल , कदम , नीम , करंज, सुबबूल आदि।	150
8.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	2750
		कुल	4810

3. <u>Case No 9127/2022 M/s Dhruv Construction, Prop. Shri Abhilesh Pandey, Plot No. A, 21, Swastik Green City, District - Shahdol, MP - 484001 Prior Environment Clearance Expansion of for Stone Mine in an area of 6.0 Ha.. (From 9793 cum per anuum to 1,15,000 cum per annum) (Khasra no. 18/1 (P)) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Expansion of for Stone Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra no. 18/1 (P)) at Village- Dholar,

Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 568वीं दिनांक 30/04/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलेश कुमार पाण्डे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए ।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में सेक की 568वीं बैठक दिनांक 30/04/22 को टॉर के हुए प्रस्तुतीकरण में निम्न पर्यावरणीय संवेदनशीलतायें पाई गई थी जिन पर परियोजना प्रस्तावक से प्रस्ताव चाहा गया था :–

क्रमांक	पर्यावरणीय संवेदनशीलतायें	परियोजना प्रस्तावक से प्रस्ताव
1.	गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर तथा दक्षिण दिशा में खदान के अंदर 01 नहर है, अतः नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जाना होगा तथा उसकी संरक्षण योजना।	नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस में दिया गया ।
2.	खदान के दक्षिण दिशा में नहर होने के कारण तथा नहर से 100 मीटर का सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़े जाने के कारण वह सुनिश्चित् कर ले कि बचे हुए भाग से क्या 1,15,000 घनमीटर/वर्ष का पत्थर उत्पादन हो सकेगा, यदि हॉ तो उसकी सम्पूर्ण योजना (प्रोडक्शन प्लॉन) ।	सेट–बैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में छोड़ने के फलस्वरूप लगभग 31,320 वर्गमीटर क्षेत्रफल खनन् हेतु उपलब्ध होगा, जो 1,15,000 घनमीटर/वर्ष का पत्थर उत्पादन के उपयुक्त होगा किंतु माईन की लाईफ 07 वर्ष अधिकतम होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कम्पलाईंस रिपोर्ट अनुसार रिटेनिंग वॉल का निर्माण करा लिया गया है तथा प्रतिवेदन ऑन लाईन अपलोड किया गया है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा धूल से नुकसान बावत् चिंता जाहिर की थी जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि शहडोल जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिर्पोट के पेज नं. 140 के सरल क्रमांक–85 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता विस्तार स्टोन – 9,793 से 1,15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.39 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 10.84लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम ढोलर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड, 3 स्ट्रेचर और 4 व्हील चेयर का वितरण कराए जाएंगे।	60,000 /-
ग्राम ढोलर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर (10 बेंच एवं डेस्क) की व्यवस्ता कराई जाएगी	40000 /-
ग्राम ढोलर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मर्रम्मत एवं पुताई करवाई जावेगी	30000 /-
ग्राम ढोलर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा कराई जाएगी	20000 /-
उज्ज्वला योजना के तहत खदान कर्मियों को 10 सोलर कुकर का वितरण किया जायेगा	20000 /-
ग्राम ढोलर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सौर प्रकाश की स्थापना किया जायेगा	20000 /-
योग	1,90,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– सिस्सू , चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, पीपल, बरगद, करंज, खमेर आदि।	1000
2.	परिवहन मार्ग (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद , चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	480
3.	ग्राम बांधवा टोला जयसिंहनगर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज,, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	300
4.	ग्राम ढोलर स्थित शासकीय प्राथमिक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	100

	विद्यालय परिसर में		
5.	ग्राम कनाडी खुर्दो में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	200
6.	ग्राम कौवासराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज आदि।	250
7.	ग्राम ढोलर में स्थित मुक्तिधाम परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल आदि।	250
8.	गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— बरगद , पीपल , आवला , रीठा , कदम , नीम , करंज, सुबबूल आदि।	2035
9.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— :— आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	2585
		कुल	**7200**

4. <u>Case No 7505/2020 M/s Ram Janki Granite, Village - Didwara, DIst. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.20 ha. (19637 cum per annum) (Khasra No. 1593/1, 1594/1), Village - Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP) (In-Situ Enviro Care, Bhopal)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1593/1, 1594/1), Village - Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 459वीं दिनांक 23/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है। सेक की 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

सेक की 582वीं बैठक दिनांक 29/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के पूर्वी भाग में 05 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन (पूर्वी भाग से लगभग 160 मीटर तक) छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र उत्तर–पूर्वी भाग से 230 मीटर दूरी पर तालाब है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेंन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटल्ड वाटर का निस्तारण किया जायेगा । खदान के पश्चिमी भाग से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक अन्य खदान का पहुच मार्ग है तथा सुरक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा 10 मीटर का सेट वैक प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान का पूर्वी क्षेत्र का भाग बहुत सकरा है जिसकी चौडाई लगभग 20 मीटर है तथा 15 मीटर का वैरियर जोन छोडने के बाद सिर्फ 05 मीटर की जगह ही बचती है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् की इस जगह को नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है । समिति ने खनन् योजना के अवलोकन से पाया कि उपलब्ध खनिज की मात्रा अनुसार इस खदान् की वर्किंग लाईफ मात्र 05 वर्ष है ।

समिति ने पाया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान जनसामान्य द्वारा ब्लास्टिंग व फ्लाई रॉक से परेशानी, धूल की समस्या, खनन् हेतु पानी की आपूर्ति, खदान के चारो ओर फेसिंग तथा वृक्षारोपण संबंधी आपत्तियां/कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग (माफल) की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार धूल नियंत्रण हेतु सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु पानी की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत दिदवारा की सहमति उनके पत्र क्रमांक 10/22 दिनांक 10/3/22 के माध्यम से प्राप्त की गई है। समिति ने पाया कि इस खदान की जन–सुनवाई के कार्यवाही विवरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों में ई.सी. की शर्तो का पालन नहीं हो रहा है । अतः समिति के अनुशंसा है कि सिया के द्वारा किसी स्वतंत्र शासकीय संस्था से यह परीक्षण कराया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । इसी प्रकार संबंधित जिलाध्याक्ष / खनिज अधिकारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त खदानों के ई.एम.पी. (जेसे पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण – बेरियर जोन तथा मिनरल इवेक्वेशन रोड के दोनो ओर, पक्का इवेक्वेशन रोड़, ओ.बी. मेनेजमेंट यादि) तथा सी.ई.आर. में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व सामाजिक विकास के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाये ताकि इस क्षेत्र में आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ई.आई. ए. रिपोर्ट में टॉर के विशिष्ठ शर्तो/बिंदुओं का उचित एवं सारगर्भित उत्तर/पालन प्रतिवेदन नहीं दिया गया है जो दिया जाना चाहिए था । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ ई.आई.ए. रिपोर्ट में टॉर के विशिष्ठ शर्तो/बिंदुओं का उचित एवं सारगर्भित उत्तर/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म–2 में जानकारी ।

- ✓ खदान के पश्चिमी भाग से लगा हुआ एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः 10 मीटर के सेट वैक के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि इस खदान् से मात्र 05 वर्ष तक खनन् किया जायेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 30 दिवस में आनलाईन उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रकरण सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को प्रकरण डिलिस्ट कर, सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 26/09/22 को ऑनलाईन अपलोड किये जाने के कारण सिया द्वारा इस प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है,

परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक मिश्रा (ऑन–लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारियों का प्रस्तुतीकरण किया गया । समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान यह सुझाया कि सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत की सलाह पर खनन् क्षेत्र के आसपास स्थित किसी तालाब या जलाशय का गहरीकरण, सौंदर्यीकरण तथा उसके आसपास वृक्षारोपण संबंधी कार्य किये जाये । **समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति के अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का छःमाही पालन प्रतिवेदन निमयानुसार ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 169 के सरल क्रमांक–29 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारियॉ एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 19,637 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.95 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
लवकुश नगर के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में अधिकारी के निर्देशानुसार चिकित्सीय उपकरणों का वितरण।	75,000.00
ग्राम डिडवारा के तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य एवं तालाब के आसपास बरगद व पीपल का वृक्षारोपण। **ग्राम पंचायत की सलाह पर**	75,000.00

योग	**1,50,000.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बेरियर जोन	करंज , चिरोल, जंगल जलेबी ,पीपल, व स्थानीय प्रजाति आदि।	300
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	नीम , खमार, बबूल, जंगल जलेबी, करंज चिरोल, व स्थानीय प्रजाति आदि	350
3.	गैर खनन् क्षेत्र में	खमेर, चिरोल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	150
4.	डढ़िया स्कूल एवं ग्राम पंचायत डढ़िया के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां।	**400**
5.	डढ़िया ग्रामवासियो को पौधो का वितरण	आम, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि।	**300**
		कुल	1500

5. <u>Case No 9338/2022 Shri Kalyan Singh Ahirwar, Owner, Village - Murrelkala, Tehsil & Dist. Raisen, MP - 464551 Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (1200 Cum per annum) (Khasra No. 254/1), Village - Murel Kalan, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP)</u>

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 254/1), Village - Murel Kalan, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री कल्याण सिंह अहिरवार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2107 दिनांक 21/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 12/09/22 के द्वारा इस खदान में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । परियोजना प्रस्तावक ने समिति को बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा एक अन्य प्रकरण में 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) निर्णय लिया है कि :–

''राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूँकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये''।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

आवंटित क्षेत्र शासकीय भूमि होकर वन सीमा से 95 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिस कारण संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/09/21 के कार्यवाही विवरण अनुसार आवेदित क्षेत्र जिस पर उत्खनिपट्टा स्वीकृति प्रदान किये जाने से अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगने के साथ–साथ शासन को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व में भी वृद्धि होगी । समिति द्वारा अनुशंसित सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई ।

गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटित क्षेत्र में खनन् कार्य किया जा रहा है जिसके संदर्भ में परिपयोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कोई कार्य नही किया गया है क्योकि उनको खदान मार्च 2022 में आवंटित हुई है तथा की जा रही खनन् गतिविधियॉ अवैध है, जिसका उल्लेख संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/09/21 के कार्यवाही विवरण में भी है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व दिशा में 150 मीटर पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 170 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लैग स्टोन माईनिंग का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन – 1200 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.78 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.21 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम मुरेल कलां के शासकीय प्राथमिक स्कूल के स्कूल की रोड और नाली का साफ सफाई एवं मैंटीनेन्स	70,000
कुल	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
खदान के बैरियर जोन में	खमेर, बेर, कचटार **सीताफल** एवं अन्य स्थानीय प्रजाती।	200
परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजाती । ट्री गार्ड के साथ–	200
मुरेल कलां स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजाती	100
मुरेल कलां एवं चपला सर के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजाती	700
योग		1200

6. Case No 9339/2022 M/s Badshah Udhyog, Prop. Shri Ayazuddin Shaikh, H.No. 7, Civil Lines Opp. Collector Bunglows, Dist. Dewas, MP - 455001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.40 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 214), Village - Rabadiya, Tehsil - Tonk Khurd, Dist. Dewas (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 214), Village - Rabadiya, Tehsil - Tonk Khurd, Dist. Dewas (MP) 2.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अयाजुद्दीन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2251

दिनांक 22/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है एवं खदान से होकर दो कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर दिशा में रोड़ के कारण उसके दोनों ओर 10 मी. का सेडबेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि नये वैकल्पिक रोड़ को खनिज परिवहन हेतु उपयोग किया जावेगा तथा जो कच्चा रोड़/क्षेत्र नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा उस कच्चे रास्ते को ग्रामीणों के लिए आवागमन के लिए उपलब्ध कराया जायेगा एवं रोड़ के दोनों ओर वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है । चूँकि प्रकरण मुरूम का अतः ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं। प्रश्नाधीन आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको इसी स्थिति में लीज आंवटित हुई है एंव यह पुराना पिट है, जो कि सन् 2016 से इस अवस्था में है, जिसे सरफेस मेप में दिखाया गया है । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित देवास जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 37 के सरल क्रमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.40 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.55 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम राबडिया के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 फोल्डेबल व्हील चेयर्स एंव 1 बेड उपलब्ध करवाए जायेंगे।	25,000/-
योग	**25,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2900 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, चिरोल, सीताफल, सिस्सू , खमेर पीपल, करंज, नीम आदि।	740

2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	400
3.	ग्राम रबडिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्राम राबडिया के पंचायत भवन परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, कदम आदि।	80
5.	ग्राम राबडिया के शासकिय विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, कदम आदि।	120
6.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	1510
		कुल	**2900**

7. <u>Case No 9340/2022 Shri Harinarayan Yadav, Owner H.No. 52, Yadav Mohalla, Near Hanuman Mandir, Village - Dehridev, Tehsil - Nalkheda, Dist. Agar Malwa, MP - 465445 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 11), Village - Dehridev, Tehsil - Nalkheda, Dist. Agar Malwa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 11), Village - Dehridev, Tehsil - Nalkheda, Dist. Agar Malwa (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरीनारायण यादव (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2039 दिनांक 04/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर दिशा में 250 मीटर की दूरी पर आबादी (बिखरे हुए मकान), दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर प्राकृतिक नाला, दक्षिण–पूर्व दिशा में 110 मीटर पर जल रोकने की संरचना एवं उत्तर दिशा में 200 मीटर पर जलाशय है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलाशय की सुरक्षा हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए हैं । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित देवास

जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 55 के सरल क्रमांक–68 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.11.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.42 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

ग्राम देहरी देव के माध्यमिक शाला की मरम्मत एवं पुताई करवाई जावेगी	25ए000
योग	**25,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, खमेर , जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, बरगद, करंज आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	500
3.	ग्राम देहरिदेव के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला, करंज आदि।	50
4.	ग्राम देहरी देव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	100
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1050
		कुल वृक्षारोपण	**2400**

8. <u>Case No 9341/2022 Shri Jagdish Patel, Owner 37, Ward No.7, Dawatpur, Tehsil - Nalkheda, District Agar Malwa (M.P.) - 465445 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 3252), Village - Semalkhedi, Tehsil - Nalkheda, Dist. Agar Malwa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3252), Village - Semalkhedi, Tehsil - Nalkheda, Dist. Agar Malwa (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश पटेल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 04/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 05.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार पश्चिम दिशा में 370 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला स्थित है तथा पूर्व दिशा में 100 मीटर पर जल रोकने संरचना स्थापित है । खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में एक खदान कार्यरत दिख रही है, **समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस खदान द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति के अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस खदान द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन निमयानुसार प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित देवास जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 54 के सरल क्रमांक–65 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 8,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.52 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम सेमलखेड़ी के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरुरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण प्रदान किये जावेंगे	20,000/-
योग	**20,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, बरगद, खमेर करंज आदि।	460
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	400
3.	ग्राम सेमलखेड़ी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल ,आवला करंज आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	290
		कुल	1200

9. <u>Case No 9330/2022 Shri Prakash Patel, Owner H. No. 83, Ward No. 12, Yashwant Nagar, Dist. Raisen, MP Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Flagstone - 500 cum per annum, Dhoka Boulder - 200 cum per annum) (Khasra No. 05) Village - Bamhori, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen, MP</u>

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05) Village - Bamhori, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen, (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रकाश पटेल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 667 दिनांक 22/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि अनुमोदित रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड किया गया है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 1072 दिनांक 15/09/22 के द्वारा इस खदान को डीएसआर में अद्यतन कर दिया जावेगा । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा एक अन्य प्रकरण में 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) निर्णय लिया है कि :–

''राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूँकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये''।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर वेयर हाऊस तथा लगभग 300 मीटर की दूरी पर आबादी एवं पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि प्रकरण फर्सी पत्थर के उत्खनन् का है जिमसें पूर्ण कार्य मैन्युअली किया जायेगा और ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । खनन् क्षेत्र के पश्चिम भाग से होकर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी है, जो आसपास के खेतों में जाने हेतु उपयोग में की जाती है तथा इस खदान के 7.5 मीटर के बैरियर जोन में से आने जाने का वैकल्पिक मार्ग दिया जायेगा, जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 500 मी^{3} प्रति वर्ष एवं ढोका बोल्डर – 200 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.32 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.11 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम बम्होरी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से उपयोग हेतु जरुरी सामग्री एवं उपकरण प्राथमिक स्वास्थ केंद्र प्रदान किये जावेंगे ।	20,000/-
योग	20,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम ———— वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर , करंज, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल आदि।	660
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	100
3.	ग्राम बम्होरी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल करंज आदि।	50
4.	शासकीय आयी. टी. आयी. कॉलेज रायसेन के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, कदम आदि।	200
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– :– अमरुद, आमला, सीताफल, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, आम आदि।	1390
		कुल	**2400**

10. <u>Case No. – 6727/2020 M/s. Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur, MP. Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry from 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP).EIA Consultant: M/s Team Labs and Consultant, Hyderabad.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry From 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP). Category-5(j). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 417th SEAC dated 22/01/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

प्रकरण सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु

अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 589वीं दिनांक 17/08/22 एवं पूर्व में 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियेाजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

The case was presented by PP Shri Dilshad Zaidi alongwith their consultant M/s Team Labs & Consultant, Hyderabad and submitted following details:

Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited (MSPIL) was initially incorporated on 13/04/2005 as Pithera Sugar Mill Pvt. Ltd. with registered office at 42, Kotra, Sultanabad, Bhopal (Madhya Pradesh). The company was converted to public limited and name changed to Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited on07/09/2005. Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited has established a 1500 TCD plant at Bachai, Narsinghpur, Madhya Pradesh. The revival in the sugar industry coupled with the availability of the raw material in the area has prompted to the promoters to come up this project.

The company decided to expand the 1500 TCD plant to 4500 TCD in 2014-2015. The company received Consent to Establish (CTE) for the 4500 TCD plant from MP Pollution Control Board vide letter no MPPCB/JBP dated 21/02/2017. The plant of 4500 TCD has been erected and awaiting Commissioning. The application for Consent to Operate (CTO), the 4500 TCD plant has been submitted on 02/08/2019.For the present proposal, the existing plant capacity has been considered as 4500 TCD.

The Company proposes to further expand the existing plant of 4500 TCD to 8000 TCD. The bagasse will be used to produce power for in-house consumption and any extra power will be evacuated to grid. Existing power requirement for 4500 TCD is 12.8 MW and the power is taken from the Co-generation plant. After expansion power requirement will be 27.8 MW and the source will be the same.

As per EIA Notification 2006 as amended, sugar plants having more than 5000 TCD cane crushing capacity falls under Project Activity 5(j), category B, and for the project under consideration, an environmental clearance is to be taken from SEIAA, MP.

Salient Features of the Project:

S. No	Particulate	Description		
1.	Name of the proponent	M/s Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited (MSPIL)		
2.	Project capacity	**Existing Capacity**	**Expanded Capacity**	
		4500 TCD	8000 TCD	
3.	Location of the project	State	Madhya Pradesh	
		District	Narsinghpur	
		Tehsil	Narsinghpur	
		Village	Bachai	
		Plot No.	149,151,165, 168	
5.	Topography	Flat		
6.	Land Type	Private		
7.	Topo sheet No.	55M/4, 55M/8, 55N/1, 55N/2, 55N/5 & 55N/6		
8.	Category	'B'		
9.	Land Requirement	7 acres to be located within existing plant of 35 acre.		
10.	Product	Sugar & Molasses		
11.	Operation Days	120 Days		
12	Molasses Required	**Existing**	**Expanded**	
		25000 MT/year	44000 MT/year	
13.	Source of Water	**Sugar Plant**-Water available within Cane @70%. (No fresh water required for the Sugar plant). **Power Plant**-Recycled water from Sugar plant and existing Bore well.		
14.	Power Requirement (in MW)	**Existing Power Requirement**	**Additional Power Requirement**	**Total Power Requirement After expansion**
		12.8	15	27.8
15.	Source of Electricity	Co-generation Plant		
16.	Turbine generator	**Existing Plant**	**Expanded Plant**	
		12.8 MW	27.8 MW	
17.	Steam (exhaust)	70 T/hr.	150 T/Hr.	
18.	Fuel Type and Quantity	Cane Bagasse, DG Set Oil	Cane bagasse, DG Set Oil	
19.	Boiler	1 (70TPH)	1 (70 TPH)+ 1 (80 TPH)	
20.	DG Sets	400 kVA	400 kVA+750 kVA	
21.	Effluent treatment System	600 KLD	1400 KLD	
22.	Man Power	125	150	
23.	Waste Generation	From the boilers during bagasse Firing: **On- Season Operation** **Dry Fly ash :** 0.148 MT/Hr. **Wet bottom ash from Grate :** 0.037 MT/Hr.		

		Description	**Existing**	**After Expansion**	**Mode of Disposal**
		Molasses	180 TPD	320 TPD	Shall be sold for manufacture of rectified spirit
		Bagasse	690 TPD	1229 TPD	Shall be used in CPP
		Press Mud	180 TPD	320 TPD	Shall be mixed with boiler ash and sold as manure
		Ash	10.36 TPD	18.43 TPD	
		ETP Sludge	1.44 TPD	2.88 TPD	Shall be sold as manure
		MSW	37.5 kg/ day	45 kg/day	Shall be disposed to city MSW Disposal Plant
24.	Total Project Cost	Rs.52.00 crore			
25.	Area for Green Belt	**Existing**		**Proposed**	**Total after expansion**
		20234 m^2		12500 m^2	32734 m^2
26.	Nearest Railway Station	**Name**		**Distance**	**Direction**
		Narsinghpur		13.7 km	SW
27.	Nearest State Highway	SH 22		8.2 km	NE
28.	Nearest Airport	Jabalpur		105 km	W

During presentation PP submitted MSPIL was initially incorporated on 13/04/2005 as Pithera Sugar Mill Pvt. Ltd. The company was converted to public limited and name changed to Mahakaushal Sugar & Power Industries Limited on 07/09/2005 and established a 1500 TCD plant in Bachai, Narsinghpur, Madhya Pradesh. PP further stated that sugarcane is one of the important cash crops in India and the sugar industry contributes significantly to the Indian economy. India ranks second in terms of the World's sugar production however most of the sugar produced is consumed in the country itself. The plant will follow Zero Discharge System for wastewater. Process effluent will be treated in Existing and Proposed ETP of capacity 600 KLD and 800 KLD respectively. The only hazardous waste likely to be generated will be scrap oil from DG set, automobiles, gears etc. Since the DG set will run only in case of failure of regular power supply. Thus, the quantity of used or scrap oil will be low and has been assumed to be very minor. This will be stored in leak proof drums in storage yard. This will be disposed off periodically by burning in boiler furnace along with fuel will be disposed scientifically as per the Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. PP said that the company received Consent to Establish (CTE) for the 4500 TCD plant from MP Pollution Control Board vide letter no MPPCB/JBP dated 21/02/2017. The Company received Consent to Operate (CTO) for the 4500 TCD plant from MP Pollution Control Board vide consent no. AW-51022 date 22/01/2020 and renewed CTO no. AW- 54980 dated 09/01/2022.

During presentation, committee observed that there are several mistakes in the form-II submitted by PP and the data of EIA and details provided in Form-II are also not matching. Following observations are made by the committee and PP was asked to submit online justified reply with necessary amendment in EIA report:

1. In form-II at Sl no. 14.6, See ground water table and justify the GW table is 2.26 mbgl.
2. In form-II at Sl no. 16.1, Waste water is 106 KLD while the capacity of proposed ETP is 1400 KLD, please justify.
3. In form-II at Sl no. 17.4 It is proposed that Boiler ash 4976.1 TPA will be mixed with press mud (86400 TPA) and used as manure. Please justify with proper scientific studies that there will be no adverse effect on soil quality and its fertility. Please refer CTO of the MP Pollution Control Board wherein it is stated that it shall be disposed off through sale to authorized party.
4. In form-II at Sl no. 18.1 why air quality impact prediction analysis not reported in form-II except Nox, please justify.
5. In form-II at Sl no. 18.2, Justify with supporting statistical data, why, the stack height for proposed 80 TPH boiler is 52 meters while the stack height for existing 70 meters boiler is also 52 meters with their diameters respectively 02 & 03 meters.
6. In form-II at Sl no. 19, R & R is shown in one village. Please provide complete details of R&R activities undertaken for this project.
7. In form-II at Sl no. 22, Out of 14.60 ha land, 9.7936 ha land is shown as green belt. Please mark this land on layout map and submit the same so that in future, no other activity can be taken up on the land marked as green belt and similler details may be provided in form-II at Sl no. 32 wherein it is proposed as 3.2734 ha.
8. Form-II at Sl no. 31, Proposed labour is 180 and expected water requirement is 37 KLD. Please justify with backup calculations.
9. Form-II at Sl no. 31 e, Justify the 270 working days for seasonal sugar industry.
10. Form-II at Sl no. 38, Consultant accreditation is valid till 06/07/22, what is the current status of accreditation with evidence.
11. Refer EIA page 3.12 table 3.4 Why heavy metals are not reported in all soil samples as per the specific TOR point.
12. Refer EIA page 3.28 table 3.11 Why surface water sample for Ser river is not collected and reported.

13. As per attached consent of MP Pollution Control Board, two boilers are in operation 30 TPH (stack 52 meters with dust supressionh and scrubber) & 80 TPH (stack 52 meters with ESP) and DG set of 750 KWh. However, as per the details provided in form-II, point no. 8.1 only one boiler of 70 TPH (8.1, 12) and DG set 1x400 KVA is shown in existence at sute. Why there is mismatch in the submitted information, needs clarification.
14. Please justify how Boiler blows down will be treated in ETP.
15. Justified plan for all the issues raised during public hearing with proper management plan.
16. Is the expansion is only for the product sugar without power plant. (If yes, how additional power requirement will be meet?
17. Details of existing plantation area with names of species and their numbers shall also be provided with proposed comprehensive plantation scheme as suggested during presentation.
18. As per the issues raised during public hearing, how far is the Agaria Talab from the project site and what precautionary measures proposed for this talab.
19. As submitted in the public hearing what is "परियोजना वृहद् ट्रेफिक मैनेजमेंट प्लान", its complete details shall be submitted as ther are several objections during public hearing for traffic jam during peak crushing time.

11. <u>Case No 9294/2022 Shri Dilip Singh Rao, Director, M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. (1,29,360 cum per annum) (Khasra No. 1/7) Village - Bolkheda, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain, (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/7) Village - Bolkheda, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 827 दिनांक 03/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

सेक की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसे सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को अनुमोदन हेतु सिया का अनुशंसा भेजी गई है, जिसके पेज नं. 79 के सरल क्रमांक–2 इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में दक्षिण दिशा में 80 मीटर प्राकृतिक नाला, 02 जल रोकने की संरचना दक्षिण–पश्चिम दिशा में 95 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में 255 मीटर पर है एवं रोड़ पश्चिम दिशा में 425 मीटर पर स्थित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोडेड फार्म–2 में कुछ त्रुटियॉ है, जिनमें सुधार किया जाना होगा, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गएः–

- समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म–2 (वर्षवार उत्पादन क्षमता का विवरण, ग्राउण्ड वाटर लेवल की पुनरीक्षित जानकारी, ग्रीन बेल्ट संबंधी संशोधित जानकारी इत्यादि)
- खदान में दक्षिण दिशा में 80 मीटर प्राकृतिक नाला है, अतः 20 मीटर का सेटबैक एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में 95 मीटर पर जल रोकने की संरचना है, अतः 05 मीटर का सेटबैक दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी ऑनलाईन दिनांक 01/10/22 को अपलोड कर दी है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित फार्म–2, उत्पादन क्षमता का विवरण एवं वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कर दी गई है तथा दक्षिण दिशा में नाले के 95 मीटर दूर होने के कारण 05 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित कर पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया है । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी है तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,29,360 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.71 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**

ग्राम **बोलखेड़ा** के स्कूल की पुताई	80000
ग्राम पंचायत एवं सामूहिक भवन में सोलर लाइट	20000
ग्राम वासियों की स्वस्थ जाँच कैम्प ।	25000
कुल	1,25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
खदान के बैरियर जोन	महारूख, सलाई, नीम, खमेर, चिरौल, सिस्सू करंज एवं पेंड के बिच 4 में एक सीताफल।	1200
परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण **(न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)**	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ–	500
बोल्खेडा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	300
बोल्खेडा एवं काबरिया खेडी के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, एवं अमरुद	2800
	योग	4800

12. Case No 9295/2022 Shri Dilip Singh Rao M/s Ravi Infrabuild Projects Pvt. Ltd, 95, Hiran Magri Sector-11, Dist. Udaipur, Raj. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.90 ha. (1,17,600 cum per annum) (Khasra No. 116) Village - Khoriya Padma, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain (MP)

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 116) Village - Khoriya Padma, Tehsil - Jharda, Dist. Ujjain (MP) 2.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 995 दिनांक 13/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान कार्यरत नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

सेक की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 में परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं

क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसे सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को अनुमोदन हेतु सिया का अनुशंसा भेजी गई है, जिसके पेज नं. 79 के सरल क्रमांक–3 इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में लगभग 30–40 पेड़ लगे हुए है, अतः ट्री–इंवेंट्री (गोलाई, लम्बाई एवं उसकी प्रजाति) प्रस्तुत की जाये । इसी प्रकार लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः उसके संरक्षण हेतु रास्ते के दोनों ओर 10–10 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप एवं पूर्व दिशा में लीज का एक को–आर्डिनेट कच्चे रोड़ आ रहा है, कच्चे रोड़ से लीज की ओर 10 मीटर का सेटबैक (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोडेड फार्म–2 में कुछ त्रुटियॉ है, जिनमें सुधार किया जाना होगा, अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गएः–

- समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित फार्म–2 (वर्षवार उत्पादन क्षमता का विवरण, ग्राउण्ड वाटर लेवल की पुनरीक्षित जानकारी, ग्रीन बेल्ट संबंधी संशोधित जानकारी इत्यादि)
- खदान क्षेत्र में लगभग 30–40 पेड़ लगे हुए है, ट्री–इंवेंट्री (गोलाई, लम्बाई एवं उसकी प्रजाति) प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः उसके संरक्षण हेतु रास्ते के दोनों ओर 10–10 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) के साथ पुनरीक्षित सरफेस मेप एवं पूर्व दिशा में लीज का एक को–आर्डिनेट कच्चे रोड़ आ रहा है, कच्चे रोड़ से लीज की ओर 10 मीटर का सेटबैक (एम.एम.आर. 1996 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार) दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी ऑनलाईन दिनांक 01/10/22 को अपलोड कर दी है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित फार्म–2, उत्पादन क्षमता का विवरण एवं वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कर दी गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में बबूल के 30 पेड़ लगे हैं जिसमें से 10 पेड़ों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटा जायेगा तथा उसके एवज् में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। समिति ने पाया कि 100 अतिरक्ति पेड़ों के साथ कुल 3580 पौधों का रोपण किया जाना होगा । परियोजना प्रस्तावक ने आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से निकल रहे कच्चे रोड़ के बारे में बताया कि यह रास्ता पगडंडी है तथा गॉव वालों द्वारा खेतों में जाने हेतु बनाया गया है जबकि खसरा मेप व शासन के रिकार्ड में इस तरह का कोई रास्ता नहीं है । गॉव वालों के आवागमन हेतु पूर्व से ही कच्चा रास्ता पूर्व दिशा होकर गुजरता है तथा वहॉ से 7.5 मीटर बैरियर जोन के अतिरिक्त 10 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया है तथा संशोधित सरफेप मेप संलग्न किया है । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी है तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक

एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,17,600 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.08.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.34 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम **खोरिया पदमा के आंगनवाड़ी** की पुताई एवं मरम्मत ।	30000
ग्राम के प्राथमिक स्कूल में टेबल और कुर्सी दी जाएगी 2 कंप्यूटर 2।	50000
ग्राम वासियों की स्वास्थय जाँच कैम्प । एवं ओरल हाइजीन बच्चो को दिया जायेगा ।	30000
कुल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3580 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

खदान के बैरियर जोन में	महारूख, करंज, सलाई, नीम, खमेर, चिरौल, सिस्सू करंज एवं सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	800
खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू) एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ	600
खोरिया पदमा स्कूल, **प्रायमरी हेल्थकेयर** एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	150
खोरिया–पदमा एवं नलखेडा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण साथ ही 500 पौधे मुनगा के	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, एवं अमरुद एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	2030

13. <u>Case No 9133/2022 M/s DCM Nouvelle Specality Chemicals Ltd, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi, Prior Environment Clearance for Pharmaceutical Intermediate and API Production at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f), Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.</u>

This is case Prior Environment Clearance for Pharmaceutical Intermediate and API Production at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Dyes & Dye Intermediates) Project.

The case was presented by the Shri Shubham Dubey, Env. Con. from M/s. ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.) on behalf of PP in the 569th SEAC meeting dated 06.05.2022. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with additional TOR points accordingly TOR was recommended in the 569th SEAC meeting dated 06.05.2022.

PP has submitted the EIA report on-line which was accepted by SEIAA and forwarded to SEAC on dated 12.09.2022 and same was received at SEAC on dated 14.09.2022.

The EIA was presented by Shri Shubham Dubey, Env. Con. from M/s. ENVISOLVE LLP, Indore and PP Shri Rajdeep, President and Shri Sandeep Jain, CFO. During presentation, PP submitted that vide letter dated 15.09.2022 (through e-mail) they have submitted that in our TOR letter it is mentioned that our proposed unit is of API & Pharmaceuticals ingredients but in actual we have applied for a specialty chemicals unit. In our application form for environmental clearance we have mentioned our project as a specialty chemical unit. We request you to kindly change the title of our project from API & Pharmaceuticals ingredients to specialty chemical unit. Committee observed that on website of SEIAA this title is mentioned and the same has been provided in the TOR letter. Committee recommended that based on the request of PP, the correct title shall be mentioned as M/s. DCM Nouvelle Specality Chemicals Ltd, 407, Vikrant Tower, 04, Rajendra Place, New Delhi, Prior Environment Clearance for Specialty Chemical unit at Plot No. 91, 92, 93 in DMIC, Vikram Udhyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Cat. 5(f), Env. Consultant:- M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

During presentation PP submitted that DCM Nouvelle Limited is setting up the project in the name of its subsidiary DCM Nouvelle Specialty Chemicals Limited for manufacture of specialty chemicals. For which company has acquired land of 86325.5 m^2 at Plot No. 91, 92 & 93 at DMIC, Vikram Udyogpuri Dist. Ujjain MP. The manufacturing capacity will be

13,500 Tons/Month. Specialty chemicals are important raw materials for the Pharmaceutical, Agrochemicals, Rubber Chemicals, Specialty Polymers & Petroleum industries. This project is an important project for enhancement of healthcare development of people as well as reduction in foreign exchange outgo. The project will be totally based on technologies developed in India and will not import any technologies. This will enhance Research & Design capabilities in India in the field of Chemistry & Specialty Chemicals Projects. The total estimated cost of the project will be Rs 200 Crores.

PRODUCT PROFILE:

S. No.	Product Name	Capacity in MT/M	End Uses
1.	Alkyl Amines	2500	Pharmaceutical, Agrochemical, Rubber Chemicals, Specialty Polymers & Petroleum industries
2.	Aromatic Amines	2500	
3.	Fatty Amines &Amides	5000	
4.	Alkylated Phenols & Alkali Metal Methylates	2500	
5.	Ethoxylates of Fatty Amines & Fatty Alcohols	1000	
Total		**13,500 Tons/Month**	

During presentation it was observed in the Google image that a natural stream is existed within the project site and flowing from the North –West to South-East. Hence, to protect the site from inundation committee instructed to PP that flow shall be maintained of this stream and water shall be allow to exit through channel and water loving plant species like Karanj, Jamun, Lasoda , Shahtoot etc. shall be planted along the stream within project site.

PP further submitted that this proposed plant will be a "Zero Liquid Discharge" unit. The manufacturing plant & MEE along with ATFD would require steam to obtain this steam company will operate two boilers of 10,000 kg/hr each. The fuel used for boiler will be Furnace oil/ Biomass. The total fly ash generation will be around 32 TPD from both the proposed boilers and will be used in brick manufacturing industries as per Fly Ash Notification, 2009. Fly ash being fluffy its transportation will be in gunny bags or close trucks. During presentation it was observed by the committee that TOR was issued to the PP for 12,000 MT/A but PP has submitted EIA for 13,500 MT/A. PP submitted that they have applied for 13,500 MT which can be verified from product wise details mentioned in PFR but certainly we could not take the cognigence of quantity issued in TOR letter. PP further submitted that since the unit is located in Notified Industrial Area and public hearing

is exempted, the production quantity for 13,500 shall be considered and error made by us shall be foregiven. After presentation PP was asked to submit response on following:

1. Submit revised layout map depicting natural stream flowing from the North –West to South-East. The natural flow of surface drain shall be protected and maintained by planting species such as Karanj, Jamun, Lasoda , Shahtoot etc and no diversion shall be carried- out for which a commitment shall be submitted by PP.
2. PP commitment's that Distillation residue shall not be send to brick manufacturer, instead of this residue shall be sent to nearest CTSDF site.
3. Revised Hazardous waste generation data and its disposal plan.
4. Justify proposal for 13,500 MTPA with documentary evidences.
5. Details of solvent recovery and commitment for >95% solvent recovery.
6. PP commitment's that fly ash shall be disposed through cement industries.
7. Revised plantation scheme as suggested by the committee.
8. Revised CER as discussed during presentation.

In this above context the PP has submitted the response of above quarries on Parivesh Portal vide letter dated 03.10.2022 wherein PP submitted that distillation residue will not be send to brick manufacturing and Fly ash will be disposed through cement industries after the approval from MPPCB. PP has submitted to set up a distillation system for solvent recovery & will recover more than 95 % of the solvent used and have revised the hazardous waste manahement plan. Further PP has submitted the layout protecting drain passing through the plant and proposed to develop green belt along the same. PP further submitted that mentioning quantity 12000 MTPM was an error but same was corrected and the EIA was carriedout for 13,500 MTPM and admit that it was a typographical mistake from their side and quantity can be verified from product wise details mentioned in our PFR. The commitment and query reply submitted by PP was placed before the committee. The query reply was discussed and the found satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed Greenfield specialty chemical unit at Plot No.91, 92, 93 DMIC Vikram Udhyogpuri, Ujjain, M.P. for 13,500 MT/Month , Cat. - 5(f).

List of proposed EC product details are as given below:

S. No.	Product Name	Capacity in MT/M	End Uses
1.	Alkyl Amines	2500	Pharmaceutical, Agrochemical, Rubber Chemicals, Specialty Polymers & Petroleum industries
2.	Aromatic Amines	2500	
3.	Fatty Amines &Amides	5000	
4.	Alkylated Phenols & Alkali Metal	2500	

	Methylates		
5.	Ethoxylates of Fatty Amines & Fatty Alcohols	1000	
Total		**13,500 MT/Month**	

Subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

S.No	Head	Boiler Details	
1	Capacity	10 Ton/hr	10 Ton/hr
2	Numbers	1	1
3	Fuel Type	Biomass	Furnace oil
4	Qty of fuel used per hr.	2367 kg/hr for Biomass (3000 NCV)	788 Kg/hr
5	Height of Stack	31	31
5	Temp of exit gas	160°C	180°C
6	Velocity of exit gas	10 m/s	15 m/s
7	SO2 emission rate	0.03 gm/sec	0.05 gm/sec
8	NOx emission rate	0.012 gm/sec.	0.027 gm/sec
9	Predicted Air Emissions	SO2, NOx, CO, PM	
10	Air Pollution Control measures	Bag Filters. Sufficient stack height.	

4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
5. The DG sets (2 x 1000 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.

2. "Zero Liquid Discharge" shall be ensured using ETP (900 KLD), MEE (Capacity 221 KLD), ATFD (Capacity 25 KLD) and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
3. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
4. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
5. Total fresh water requirement shall not exceed 1106 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, than CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
6. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
7. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
8. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (2 x 1000 kVA) for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

2. The total power requirements for project will be 4 MW.
3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

Expected Solid/Hazardous waste	Category	Quantity (Approx.)	Disposal Mode
Distillation residues	20.3	60 TPM	Authorized MPWMF (Ramkey), Management services for Disposal / sent to cement manufacturing after the approval of MPPCB.
Deactivated catalyst	28.2	25.83 TPM	Send to MPWMF (Ramkey), Authorized TSDF Management services for Disposal.
Deactivated Hydrogenation precious metal catalyst	28.2	29.43TPM	Send back to Supplier or pre-processor
ETP Sludge	35.3	7.5TPM	Send to MPWMF (Ramkey), Authorized TSDF Management services for Disposal.
Spent oil/used oil	5.1	3 TPM	Collection, storage and Sold to MPPCB Authorized Reprocessor / Recycler
ATFD Residue (salt)	37.3	600 TPM	MPWMF (Ramkey), Pithampur
Empty containers of chemicals used in processes	33.1	500 Drums/ Month.	MPPCB Authorized Recycler before washing
Batch Reaction material **(if any).**	-	10TPM	Authorized MPWMF (Ramkey), Management services for Disposal.

E-Waste	-	3 TPA	Send to authorized Recycler
Used lead acid batteries	-	06 no/ Annum	Exchange for new batteries.

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

1. Total 2500 trees shall be planted in the area of 28487.75 m^2 (33 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.

2. The natural flow of surface drain will be protected and maintained by planting 1000 no. of species such as Karanj, Jamun, Lasoda, Shahtoot, Khasgaas, Nagarmotha etc. Plantation details are as given below:-

Description	**Qty.**	**Location**
Neem	250	Boundary Wall
Putran Jeeva	250	Boundary Wall
Amaltash	250	Road Main Gate - Admin Block
Ficus Venjamin	250	Around Admin Block, road & lawn
Jamun	250	Around the water channel present at the project site.
Shahtoot	250	Around the water channel present at the project site.
Lasoda	250	Around the water channel present at the project site.
Karanj	250	Around the water channel present at the project site.
Satparni	250	Around Admin Block, road & lawn
Ashoka Tree	250	Around Admin Block, lawn and around boundary limit (backside of the site)
TOTAL	**2500**	250 numbers of plants shall be around the periphery at outside of the unit subject to allotment of land for plantation by MPIDC.

3. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.

4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the presentation 2.86 Hect. area which will be 33% of total land area of project. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.

3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

1. The proposed EMP cost is Rs. 1580.00 lakhs and 219.60 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 5.0 lakhs and Rs. 15.0 lakhs is proposed for green belt development.
2. Under CER activity, capital cost is Rs. 200.00 lakhs proposed for following different activities.

S.No.	**Particulars**	**Total cost (Rs./Lacs)** (in 10 years)
1.	Plantation along the banks of Kshipra River through DFO and amount be transferred to account given by DFO concerned.	50 .00
2.	Installation of- • Solar panels, • Drinking water cooler with RO, • Distribution of computers in IT lab. at Karchha Govt. girls high secondary school	50 .00

3.	• Medical camps, • Distribution of hygiene kits and supplements for disabled children in nearby villages with consultation of local gram panchayat	50 .00
4.	• Development of green area with plantation of fruit bearing trees on unused govt. land with consultation of DFO and District Magistrate	50.00
	Total CER cost in Lacs	**200** .00

3. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
4. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
5. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
6. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
8. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.

2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

14 जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा –

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

(अ). जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बड़वानी – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

Mineral	**Other than Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 576th & 591st Meeting dated 16.08.2022 & 27.08.22.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Other than Sand)
Deliberation in the SEAC 576th & 591st Meeting dated 16.08.2022 & 27.08.22.	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576 वीं बैठक दिनांक 10/06/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बड़वानी (म.प्र.)** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 606 दिनांक 27/05/22 के माध्यम से बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है कि जिला कलेक्टर, बड़वानी के पत्र दिनांक 18/4/22 को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया। इसके उपरांत गठित समिति की उपस्थित अधिकारीगण द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित किया गया । तद्उपरांत उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पत्र कमांक 352 दिनांक 26/05/22 को अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया कार्यालय के अनुमोदन हेतु भेजा गया है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 30/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की

गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बड़वानी की ओर से सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया किः–

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- बिंदु क्रमांक–30 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बड़वानी जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु संचालित खदानों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री अंशु जावला, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22

बड़वानी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज एंव अन्य गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज निरीक्षक के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई ।

आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री शांतिलाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

जिले की संशोधित बड़वानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः–

1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (तालिका –21 पेज 32)।
2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है।
3. बड़वानी जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की

	जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Badwani , No. 841 dated 21.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 07.10.22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 21 से 38) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक–25 (पेज क्र0. 82 से 117) मे दी गई है एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है ।

आज दिनांक 07.10.22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री शांतिलाल निनामा, खनिज निरीक्षक के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– बड़वानी के पत्र क्र0 841/खनिज/2022 दिनांक 21/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज– गिट्टी) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(ब). <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरदा – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)</u>

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 353 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– हरदा (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other than Sand**
Revised DSR received	Vide District Collectorate (Mining) Office, Harda letter No. 353 dated

from District Collectorate (Mining)	19.09.2022
SEAC meeting dated 07.10.22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 01 से 07) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी टेबिल क्रमांक– (पेज क्र0. 36 से 38) मे दी गई है ।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री धनराज काटोलकर, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– हरदा के पत्र क्र0 353/खनिज/2022–23 दिनांक 19/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति हरदा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(स). जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बुरहानपुर –

1. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर, जिला – बुरहानपुर – संशोधित

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 395 दिनांक 03/10/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– बुरहानपुर (गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other than Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 594th Meeting dated 21.09.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Other than Sand)
Deliberation in the SEAC 594 th Meeting dated 21.09.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)** **अ. गौण खनिज, जिला – बुरहानपुर** कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 315 दिनांक 06/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– रतलाम (गौण

	खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं सुश्री सोनल सिंह तोमर, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । बुरहानपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः ➢ तलिका क्र0. – 9 में दर्शित डेटा 16 बिन्दुओं की जानकारी अधिसूचना के अनुसार नही है जैसेः– • Mining lease Sanction Order No. & date, • Date of commencement of mining operation, • Captive or Non-captive, • EC obtained Yes/No • Method of Mining (Open Cast/Under Ground) etc. ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बुरहानपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	vide District Collectorate (Mining) Office, Burhanpur , No. 395 dated 03.10.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 07.10.22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क्र0 निरंक पेज न0. 47 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रमोद उईके, सहायक मानचित्रकार उपस्थित हुए।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– बुरहानपुर के पत्र क्र0 395 दिनांक 03/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति बुरहानपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

2. रेत खनिज – बुरहानपुर

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 594th Meeting dated 21.09.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (S**and Mineral**)
Deliberation in the SEAC 594th Meeting dated 21.09.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज, जिला – बुरहानपुर** आज दिनांक 21/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित शहडोल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पाया गया किः– • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका मे जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ जो मिनरल पोटेंशियल की गणना की गयी है उसको पुनः किया जाना प्रस्तावित है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शहडोल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Burhanpur l letter No. 399 dated 07.10.2022
SEAC meeting dated 07/10/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क्र0 निरंक पेज न0. 47 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रमोद उईके, सहायक मानचित्रकार उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– बुरहानपुर के पत्र क्र0 399 दिनांक 07/10/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक

संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ बुरहानपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

(द). <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा – (अन्य गौण खनिज)</u>

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 718 दिनांक 20/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– खंडवा (अन्य गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री सचिन वर्मा खनिज अधिकारी ऑन लाईन उपस्थित रहे । बुरहानपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि :–

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–03 (पेज क्र0. निरंक) मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार नही दी गई है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि खंडवा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

(इ) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला – निवाड़ी –(अन्य गौण खनिज –रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 270 दिनांक 28/09/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– निवाड़ी (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other than Sand**
DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Niwadi , No. 270 dated 28.09.2022
SEAC meeting dated 07/10/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –09 (पेज न0. 20–40) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबिल (पेज न0. निरंक) मे दे दी गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं पंकज ध्वज मिश्रा खनिज अधिकारी उपस्थित हुए ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– निवाड़ी के पत्र क्र0 270/खनिज/2022 दिनांक 28/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति निवाड़ी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

(फ) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, अशोकनगर – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 150 दिनांक 29/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– अशोकनगर (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

Mineral	**Other than Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th Meeting dated 27.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation **(Other than Sand**)
Deliberation in the SEAC 591th Meeting dated 27.0822	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **(गौण खनिज) जिला –अशोकनगर** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (टेबिल क्रमांक निरंक– पेज 09–21)। 2. अशोकनगर जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Ashok Nagar , No. 150 dated 29.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Soft copy
SEAC meeting dated 07/10/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–8 (पेज क्र0. 20 से 34 में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट टेबिल क्रमांक–8 (पेज क्र0. 20 से 34) मे दे दी गई है।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री अशोक सिंघारे, उप खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– अशोकनगर के पत्र क्र0 150 दिनांक 29/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(ज) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–शहड़ोल

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) शहड़ोल

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 594th Meeting dated 21.09.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 594th Meeting dated 21.09.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – रेत खनिज, जिला – शहड़ोल** आज दिनांक 21/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित शहडोल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पाया गया किः– • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका मे जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ जो मिनरल पोटेंशियल की गणना की गयी है उसको पुनः किया जाना प्रस्तावित है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शहडोल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Shahdol letter No. 848 dated 04.10.2022

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

SEAC meeting dated 07/10/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क्र0. निरंक Annexure-III पेज न0. 60 से 64 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी, के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– शहडोल के पत्र क्र0 848, दिनांक 04/10/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

2. अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर, जिला शहड़ोल

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 19 दिनांक 07/10/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– शहड़ोल (अन्य गौण खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

Mineral	**Other than Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 592th Meeting dated 06.09.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation **(Other than Sand**)
Deliberation in the SEAC 591th Meeting dated 27.0822	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित शहडोल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः– 1. पेज 12 टेबल न0.निरंक की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी नही दी गयी है। जिससे लीज के अक्षांश –देशांश की जानकारी भी नही है। 2. लीजवार हरित क्षेत्र विकास की जानकारी भी नही दी गयी है। 3. जिले मे उपलब्ध कुल खनिज भण्ड़ार की जानकारी देवें। 4. जिले मे उपलब्ध कुल खनिज की क्वालिटी /ग्रेड की जानकारी देवें। 5. पिछले 03 वर्षो के दौरान मांग और पूर्ति की जानकारी देवें। 6. जिले में पारिस्थितिकी, संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) यदि कोई हो तो जानकारी देवें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शहडोल की जिलासर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Shahdol , No. 19 dated 07.10.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 07/10/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. निरंक) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0.निरंक) मे दे दी गई है।

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– शहडोल के पत्र क्र0 19 दिनांक 07/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज

धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति शहडोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(ह) अन्य गौण खनिज, जिला – बैतूल

Mineral	Other than Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 595th Meeting dated 22.09.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation **(Other than Sand**)
Deliberation in the SEAC 594th Meeting dated 22.0922	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 595 वीं बैठक दिनांक 22/09/22** कार्यालय कलेक्टर के पत्र क0. 1368 दिनांक 19/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– बैतूल (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। जिले की बैतूल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) मे पाया गया किः– 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (तालिका –16 पेज 30)। 2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है। 3. बड़वानी जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बैतूल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अन्य गौण खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Vide District Collectorate (Mining) Office, Baitul , No. 1481 dated 07.10.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 07/10/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क0. 16–34) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट टेबिल क्रमांक–26 (पेज क0. 56–66) मे दे दी गई है।

598वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– शहड़ोल के पत्र क्र0 1481 दिनांक 07/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति शहड़ोल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुशंसाओं में त्रुटि सुधार</u>

(अ). **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज)– मंदसौर**

समिति द्वारा सेक की राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट(रेत खनिज)– जिला मंदसौर के स्थान पर **विदिशा जिला** अंकित हो गया था जिसे टंकण त्रृटि मे सुधार उपरांत **जिला मंदसौर** पढ़ा जाये व पूर्व मे प्रेषित कार्यवाही विवरण 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 (पृष्ठ क्र0. – 64) में पूर्ववत जारी शर्ते/अनुशंसा यथावत् रहेगी ।

(ब). **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज)– रतलाम**

समिति द्वारा सेक की राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 596 वीं बैठक दिनांक 23/09/22 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट(रेत खनिज)– जिला रतलाम के स्थान पर **हरदा जिला** अंकित हो गया था जिसे टंकण त्रृटि मे सुधार उपरांत **जिला रतलाम** पढ़ा जाये व पूर्व मे प्रेषित कार्यवाही विवरण 594 वीं बैठक दिनांक 21/09/22 (पृष्ठ क्र0. – 48) में पूर्ववत जारी शर्ते/अनुशंसा यथावत् रहेगी ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained